<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर</u>

युगलपीठः

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा

माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्र. 727/2005

अपीलकर्ता (जेल में): रामू राम उर्फ़ रमेश, उम्र 23 वर्ष, पिता - बुलखू राम लोहर, निवासी ग्राम लिलेझार, पुलिस थाना चारामा, जिला कांकेर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना चारामा, जिला कांकेर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री अनंत बाजपेयी, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री अखिल मिश्रा, राज्य की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता।

मौखिक निर्णय

(दिनांक 14 फरवरी, 2008)

माननीय धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्ति द्वारा:

यह अपील, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बस्तर, जगदलपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 196/2001 में दिनांक 09 नवम्बर, 2001 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त

आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का निर्देश भी दिया गया है।

अभियोजन के अनुसार, दिनांक 02.02.2001 की रात्रि लगभग 11:30 बजे मृतका भूमिति, शांति बाई अभी. सा.-2 एवं कुमारी पोमा अभी. सा.-3 के साथ लकड़ी लेने गई थी। जब तीनों महिलाएँ लकड़ी एकत्र कर वापस लौट रही थीं और करियापथार के खेत के पास पहुँचीं, तभी अपीलकर्ता कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा और बिना कुछ कहे अचानक भूमति की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। भूमति घटनास्थल पर ही गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। घटना को देखकर कुमारी पोमा भयभीत होकर गांव की ओर भागी और रास्ते में लोगों को इस घटना की जानकारी दी। उसने यह बात अपने भाई दौलतराम को भी बताई। सूचना पाकर ग्रामीणजन घटनास्थल पर एकत्रित हुए। इस बीच शांति बाई बेहोश हो गई, जिसे लोग गांव ले आए। जब शांति बाई को होश आया , तब उसने घटना की पूरी जानकारी ग्राम सरपंच श्रीमती किरण देवी अभी. सा.-1) को दी, जिन्होंने तत्पश्चात पुलिस थाना चारामा में प्राथमिकी (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण के दौरान मृतका का पंचनामा प्रदर्श पी-4 के रूप में तैयार किया गया तथा शव को परिक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चारामा भेजा गया, जहाँ डॉ. एस.एम. घोसलकर (आ.सा-6) ने शव का परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 के रूप में प्रस्तुत कीया। मृतका एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-2 ए वं प्रदर्श पी-3 के रूप में अभिलेख पर लिया गया। अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के उपरांत , उसके द्वारा दिए गए मेमोरेंडम कथन कथन (प्रदर्श पी-4) के आधार पर घटना में प्रयुक्त हथियार (कुल्हाड़ी) को बरामद कर जब्त किया गया। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए मेमोरेंडम कथन कथन (प्रदर्श पी-4) के आधार पर, अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी

(प्रदर्श पी-5) को विधिवत रूप से जप्त किया गया। मृतक के रक्त से सने वस्त्र (प्रदर्श पी-6) को भी विधिसम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत जप्त किया गया अपराध में प्रयुक्त हथियार कुल्हाड़ी को परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चारामा के सहायक शल्य चिकित्सक को समक्ष प्रेषित किया गया जिन्होंने प्रदर्श पी-8 में प्रदत्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि मृतका के शरीर पर पाई गई चोटें ऐसे प्रशनगत हथियार से करीत की जा सक्ती है, जैसे कि बरामद कुल्हाड़ी। अपीलकर्ता के कपड़े भी परीक्षण हेतु डॉ. एस .एम. घोसलकर को भेजे गए थे, जिन्होंने परीक्षण उपरांत यह राय दी कि उन वस्त्रों पर रक्त जैसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि, उन्होंने रक्त की उपस्थिति की पुष्टि हेतु अतिरिक्त परीक्षण की सलाह दी जो की (प्रदर्श पी-10) है। बाहरी नक्शा हल्का पटवारी द्वारा प्रदर्श पी-13 के तहत तैयार किया गया था। थाना प्रभारी द्वारा प्रदर्श पी-16 के तहत घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , कांकेर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामला सत्र न्यायालय, बस्तर, जगदलपुर को विचारण हेतु अर्पित किया। विशेष न्यायाधीश को मामला स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 9 साक्षीयों का परीक्षण कराया। इसके बाद अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन के आरोपों का खंडन किया तथा स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना बताया। अपीलकर्ता ने अपने पक्ष में तीन बचाव पक्ष साक्षीयों का परीक्षण कराया कुंवर सिंह (अना. सा.-1) रामलाबाई उर्फ निरोसाबाई (अना. सा. -2) कृष्णा (अना. सा.-3) |

हालांकि, माननीय विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई, जैसा कि इस निर्णय के कंडिका-1 में उल्लिखित है।

भूमति बाई की मृत्यु का कारण मानववध होना विवादित नहीं है। घटना की प्रत्यक्षदर्शी गवाह शांति बाई (आ. सा.-2) के साक्ष्य तथा डॉक्टर सुभाष घोषालकर (आ .सा.-6) द्वारा किया गया शवपरिक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-7), जिसमें मृतिका के गर्दन के बाएं भाग पर 2" x 1" x 2¾" आकार का तिरछा घाव पाया गया, जिसमें मांसपेशियां, रक्तवाहिनियां एवं नसें कटी हुई पाई गईं और कैरोटिड आर्टरी, नस तथा स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड मांसपेशी क्षतिग्रस्त पाई गई, से यह सिद्ध होता है कि मृत्यु का कारण उक्त घातक चोट थी तथा मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के फलस्वरूप हुई, जो कि स्पष्ट रूप से मानववध प्रकृति की थी।

न्यायालय में अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष अपराध करने का हेतुक स्थापित नहीं कर सका है। दोषसिद्धि शांति बाई (आ सा.-2) और कुमारी पोमा बाई (आ सा.-3) की गवाही पर आधारित है। शांति बाई ने अपनी प्रति परिक्षण के कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि उनकी उम्र अधिक होने के कारण उनकी दृष्टि कमजोर है, इसलिए वह वस्तु की पहचान नहीं कर सकतीं। जब भूमति बाई लकड़ी के साथ गिर गई, तब पोमा बाई ने कहा कि रामू ने हमला किया है। उसने रामू से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक रामू वहां से भाग चुका था। अतः इस गवाह ने घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। यह भी तर्क दिया गया कि इस गवाह ने यह भी तर्क किया गया कि इस साक्षी ने अपने बयान के कंडिका-7 में स्वीकार किया है कि वह भूमति की देखकर बेहोश हो गयी और उसे सीधे अपने घर पर ही होश आया और फिर पटेल एवं सरपंच से मिली, जिनसे उसने इस घटना पर चर्चा की, और फिर शिकायत दर्ज कराने गई। उसने घटना के बारे में सीधे संबंधित व्यक्तियों से बात नहीं की थी, और शिकायत इस गवाह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज नहीं की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि इस गवाह ने अपनी मुख्य परिक्षण में यह दावा किया है कि अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी से दो वार किए थे, जबकि मृतका को केवल एक ही चोट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आई थी, जो उसकी गर्दन पर थी। इसी प्रकार, कुमारी पोमा बाई ने भी यह स्वीकार किया है कि उसने घटना को स्वयं नहीं देखा है। उसने कहा कि घटना के समय वह मृतका के पीछे चल रही थी और शांति बाई उसके आगे थी। भूमति आगे चल रही थी , और रामू उसके पीछे था। जब भूमति गिर गई, तो शांति बाई ने पीछे मुड़कर देखा और रामू को भागते हुए पाया। इस प्रकार, यह भी स्पष्ट है कि उसने भी घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। उसने केवल यह देखा कि भूमति को गर्दन में चोट आई है और रामू भाग रहा था। अतः वह भी घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मृतका और दो चश्मदीद गवाह — अर्थात् शांति बाई और कुमारी पोमा बाई — लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वापस लौट रही थीं। उसी समय अपीलकर्ता, जो कुल्हाड़ी पकड़े हुए था, उन्हें विपरीत दिशा से पार करता है, और ठीक उसी समय भूमति ज़मीन पर गिर जाती है, जिसकी गर्दन पर कटी हुई (धारदार हथियार से) चोट थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घटना की प्रत्यक्षदर्शी शांति बाई थी, जिसने सरपंच को बताया कि अपीलकर्ता ने कुल्हाड़ी से भूमति पर हमला किया, और उसी आधार पर प्राथमिकी (प्रदर्श पी-1) ग्राम सरपंच श्रीमती किरण देवी द्वारा दर्ज कराई गई। पोमा बाई (आ सा.-3) ने यह गवाही दी कि घटना से ठीक पहले अपीलकर्ता उनके पास से गुजरा और इसके बाद भूमति जमीन पर गिर गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि भूमति गर्दन पर चोट के साथ ज़मीन पर गिरी पड़ी है और उसी समय उसने अपीलकर्ता को घटना स्थल से भागते हुए देखा। इन गवाहियों की पुष्टि दौलतराम (आ सा.-5), मनीराम (अना. सा.-2), रामलाबाई (अना. सा.-2) और कृष्णा (अना. सा.-3) के बयानों से होती है, जिन्होंने बताया कि वे भूमति का शव देखने आए थे और पूछताछ पर उन्हें पता चला कि रामू ने

भूमति पर हमला किया था। शांति बाई ने भी होश में आने के बाद सबके सामने बताया कि रामू ने कुल्हाड़ी से भूमति पर हमला किया था।

हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्के सुनी। हमने अभिलेख एवं निर्णय का भी अवलोकन किया है।

अपीलकर्ता की दोषसिद्धि निम्नलिखित बयानों और साक्ष्यों पर आधारित है: शांति बाई (आ सा.-2), पोमा बाई (आ सा.-3), श्रीमती किरण बाई (आ सा.-1) — जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज करवाई, रामप्रसाद (आ सा.-4) — जो प्रदर्श पी-4 के पंचनामे का गवाह है, प्रदर्श पी -5 के तहत अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी, और अपीलकर्ता के कपड़ों की बरामदगी। दोषसिद्धि इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है दौलतराम (आ सा.-5) का बयान, जो इस बात का साक्षी है कि पोमाबाई, जो उसकी बहन है, ने उसे बताया कि अपीलकर्ता ने भुमती पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शांती बाई (आ सा.-2) ने बताया कि घटना के दिन सुबह लगभग 11 बजे वह, भुमती और पोमाबाई जंगल से लकड़ियां बटोर कर लौट रहे थे। पोमाबाई सबसे आगे थी, भुम ती उसके पीछे और शांती बाई सबसे पीछे चल रही थी। जब वे गांव के पास नदी पार करके पहुंचे, तो सामने से रामू आता दिखा, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। रामू ने भुमती के पास पहुंच कर उस पर दो बार कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किया, जिससे भुमती ज़मीन पर गिर गई और रामू नदी की ओर चला गया। शांती बाई ने रामू से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन रामू कुछ नहीं बोला और चला गया। पोमाबाई गांव की ओर दौड़ी और गांववालों को सूचना दी। वह बेहोश हो गई। यद्यपी प्रति परिक्षण के दौरान उसने कहा कि उसकी आंखें कमजोर हैं, इसलिए वह दूर से कोई वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकती, फिर भी उसने कहा कि वह भुमती से केवल 4-5 फीट की दूरी पर थी, औ र जब भुमती गिरी, तो पोमा चिल्लाई – "रामू ने हमला किया, रामू ने हमला किया"

, जिस पर शांती बाई ने रामू से पूछा कि उसने उसकी बेटी भुमती पर हमला क्यों किया , लेकिन तब तक रामू वहां से भाग चुका था।

इस प्रकार, उपर्युक्त गवाह द्वारा दी गई विवरण से, जिसे प्रति परिक्षण में भी चुनौती नहीं दी गई, यह तथ्य स्थापित होता है कि उक्त गवाह से यह स्थापित होता है की मृतका के पीछे लगभग पाँच फीट की दूरी पर चल रही थी| आगे उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने अपीलकर्ता को मृतका पर हमला करते देखा और इस गवाह से यह सुझाव नहीं दिया गया कि उसने यह घटना नहीं देखी। उसकी गवाही को पोमाबाई के कथन से पूरी तरह समर्थन मिलता है, जिसने अपीलकर्ता को घटना स्थल पर कुल्हाड़ी के साथ आते हुए देखा और तुरंत बाद उसने देखा कि मृतका गर्दन पर चोट के कारण ज़मीन पर गिर पड़ी, और फिर उसने अपीलकर्ता को घटना स्थल से भागते हुए देखा। इन दोनों साक्षीयों के कथन को श्रीमति किरण (आ सा.-1), दौलतराम (आ सा.-5) तथा पबचाव पक्ष के साक्षीयों के कथनों से भी समर्थन प्राप्त होता है। उपरोक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त, खून लगी कुल्हाड़ी की बरामदगी को भी रामप्रसाद (आ सा.-4) त था अन्वेषण अधिकारी (आ सा.-9) ने सिद्ध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारा यह सुविचारित राय हैं कि विचरण न्यायलय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए कोई त्रुटि नहीं की है। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील में कोई योग्यता नहीं है, अतः यह अपील खारिज कीये जाने योग्य है और तदनुसार ख़ारिज की जाती है|

सही/-
माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायधीश

सही/-
माननीय श्री टी.पी. शर्मा
न्यायधीश

---00---

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur